बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

अ धि सू च ना

जी0ए0आर0

पटना, दिनांक

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार ईख सेवा में भर्ती और सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

नियमावली

भाग–1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली 'बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं– जबतक कि किसी विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(i) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(iii) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति इस सेवा के किसी पद पर मौलिक या अस्थायी रूप में इस नियमावली के उपबंधों के अन्तर्गत की गई हो एवं इसमें नियम–4 में उल्लिखित किसी पद पर पहले से नियमित रूप से नियुक्त किये गए व्यक्ति भी सम्मिलित हैं;

(iv) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार ईख सेवा;

(v) "समिति" से तात्पर्य है सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद);

(vi) "परीक्षा" से तात्पर्य है नियम–15 के अनुसार संचालित विभागीय परीक्षा;

(vii) "विभाग" से अभिप्रेत है गन्ना उद्योग विभाग;

(viii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है – राज्य सरकार;

3. स्थिति (स्टेटस)– बिहार ईख सेवा राजपत्रित राज्य सेवा होगी।

4. सम्वर्ग का गठन--**(i)** सम्वर्ग का गठन– इस सेवा के मूल कोटि से उच्च क्रम में निम्नवत् पदसोपान होंगे :–

क्रमांक	पदनाम
1.	ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी (मूल कोटि का पद)
2.	सहायक ईखायुक्त
3.	उप ईखायुक्त
4.	संयुक्त ईखायुक्त
5.	अपर ईखायुक्त

(ii) पदबल– पूर्व के स्वीकृत पदबल सहित राज्य सरकार समय–समय पर आवश्यकतानुसार पदबल संख्या निर्धारित कर सकेगी।

(iii) वेतनमान– इस सेवा के पदो के वेतनमान वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत होंगे।

(iv) पद प्रास्थिति– इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व नियुक्त ईख सेवा के पदाधिकारी अपनी पूर्व प्रास्थिति के साथ इस नियमावली से शासित होंगे।

भाग–2

भर्ती

5. **भर्ती का स्रोत**– इस सेवा में पदाधिकारियों की नियुक्ति,

(क) इस नियमावली के भाग–3 के नियमों के अनुसार मूल कोटि के पद आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और भरे जायेंगे।

(ख) इस नियमावली के भाग–4 के नियमों के अनुसार शेष उच्चतर पदों पर मूल कोटि से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति कर की जायेगी।

6. **रिक्तियों का निर्धारण**– (i) इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के लिए सीधी भर्त्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या निर्धारित करेगी।

(ii) अपर ईखायुक्त, संयुक्त ईखायुक्त, उप ईखायुक्त एवं सहायक ईखायुक्त के पदो को प्रोन्नति द्वारा सरकार की अवधारित प्रोन्नति नीति के अन्तर्गत भरी जायेगी।

भाग–3

सीधी भर्ती

7. **आयोग को रिक्तियों का संसूचन**– नियम–6 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा की मौलिक भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अवधारित आरक्षण नीति के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से रोस्टर अनुमोदन के पश्चात विभिन्न श्रेणियों की अनुमान्यता के अनुरूप सरकार द्वारा आयोग को रिक्तियाँ संसूचित की जायेंगी। आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजेगा।

8. **शैक्षणिक योग्यता**– मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के रूप में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक होने की अनिवार्यता होगी। उम्र सीमा एवं अन्य अर्हताएं वहीं रहेगी जो राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है।

9. **सेवा में नियुक्ति**– नियम–7 के अन्तर्गत आयोग जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगा उनकी नियुक्ति आयोग की मेधा सूची के क्रमानुसार सरकार द्वारा की जा सकेगी।

10. **प्रशिक्षण**– नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष का प्रशिक्षण होगा।
नियुक्त पदाधिकारी तीन माह बिहार लोक प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना में, तीन माह क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय में तथा छः माह एस०आर०आई०, पूसा/आई०आई०एस०आर०, लखनऊ एवं एन०एस०आई०, कानपुर अथवा अन्य मानक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में इनके वेतनादि का भुगतान मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

11. **प्रोन्नति**– इस सेवा में विभिन्न कोटि के पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु चयन इस नियमावली के अधीन प्रोन्नति के योग्य व्यक्तियों के बीच से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोन्नति के मानक शर्तो के अधीन निर्णीत होगा।

12. अपर ईखायुक्त, संयुक्त ईखायुक्त, उप ईखायुक्त एवं सहायक ईखायुक्त के पद विभागीय प्रोन्नति के होंगे। प्रोन्नति हेतु उम्मीदवारों की पात्रता का उनकी सम्वर्गीय वरीयता के आलोक में विचार

किया जायेगा। इन पदों पर प्रोन्नति के लिए कालावधि राज्य सरकार द्वारा यथा विहित के अनुरूप होगी।

13. पदाधिकारियों की प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति अनुशंसा करेगी, जो निम्न रूप में है :–

1. विकास आयुक्त, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग	–	सदस्य
3. ईखायुक्त, बिहार, पटना।	–	सदस्य सचिव
4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत आवश्यकतानुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन–जाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से अन्यून।	–	सदस्य
5. विभाग द्वारा नामित अल्पसंख्यक समुदाय का एक पदाधिकारी	–	सदस्य
6. सामान्य प्रशासन विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से अन्यून	–	सदस्य

परंतु सेवा के उच्चतम पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग द्वारा की जा सकेगी।

भाग–4

सेवा की शर्त्तें

14. वरीयता सूची–

बेसिक ग्रेड में वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के अनुसार होगा।

15. परिवीक्षा की अवधि–

(क) सेवा में मौलिक पद (ईख पदाधिकारी) के रूप में सभी नियुक्तियाँ दो वर्षो की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(ख) परिवीक्षा की अवधि में प्रत्येक पदाधिकारी से नियम–16 में यथा निर्दिष्ट विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) यदि परिवीक्षा की अवधि में किसी पदाधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसे पद मुक्त अथवा यदि सरकार ऐसा विचार करे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ायी जा सकेगी।

(घ) परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर पदाधिकारी को सम्पुष्ट किया जा सकेगा। बशर्ते कि उसने विभागीय परीक्षा में उर्तीणता प्राप्त कर ली हो तथा उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति संतोषप्रद हो।

(ड.) सेवा अवधि में मात्र मौलिक पद पर सम्पुष्टि आवश्यक होगी। प्रोन्नति के पदों पर सम्पुष्टि की अपेक्षा नहीं होगी।

16. **विभागीय परीक्षा**– (क) ईख पदाधिकारी के पद पर नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारी को सम्पुष्टि के पूर्व इस नियमावली के नियम–19 में यथा निर्दिष्ट मानक मानदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(ख) मूल कोटि (ईख पदाधिकारी) के पदाधिकारी प्रोन्नति हेतु तबतक योग्य नहीं समझे जायेंगे, जबतक कि वह विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में निर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार उत्तीर्ण न हो जाय।

(ग) इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि को या उसके पश्चात इस सेवा के मौलिक पद पर नियुक्त पदाधिकारी परिवीक्षा अवधि के भीतर अपनी द्वितीय वेतन वृद्धि तबतक प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जबतक कि वह विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में अंतिम स्तर से उत्तीर्ण न हो गये हों। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण की तिथि से वृद्धि का आर्थिक लाभ देय होगा परंतु अवरूद्ध के लिए वैचारिक वेतनवृद्धि दी जा सकेगी।

17. किसी भी कर्मी को विभागीय परीक्षा से विमुक्ति राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकेगा।

18. **विभागीय परीक्षा का संचालन, विषय, पाठ्यक्रम आदि–**

(i) विभागीय परीक्षा का संचालन केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) द्वारा किया जायेगा।

(ii) परीक्षा से संबंधित विनियमन समिति द्वारा तय किया जा सकेगा।

19. **विभागीय परीक्षा के मानक मानदण्ड–**

(1) परीक्षा के निम्न दो पत्र होंगे–

(क) प्रथम पत्र (पुस्तक रहित) :– चीनी उद्योग से संबंधित कानून, जिसका परिशिष्ट–1 में विस्तृत विवरण है।

(ख) द्वितीय पत्र (पुस्तक सहित) :– (i) साक्ष्य कानून तथा राजस्वकर, जिसका परिशिष्ट–2(i) में विस्तृत विवरण है।

(ii) परिशिष्ट–2 (ii) में उल्लेखित लेखा भाग–I एवं II के विषय हैं।

(2) प्रथम तथा द्वितीय पत्र में उच्च स्तर से कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। प्रथम एवं द्वितीय पत्रों की परीक्षा का समय तीन घंटो का होगा तथा प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 150 होगा। द्वितीय पत्र के दो भाग होंगे और प्रत्येक भाग का पूर्णांक 75 होगा।

(3) परीक्षा की तिथि प्रकाशित होने के पश्चात इच्छुक पदाधिकारी उचित माध्यम से समिति के समक्ष परीक्षा में शामिल होने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र देंगे। प्रपत्र समिति द्वारा विहित किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा विहित आवश्यकतानुसार हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में उर्तीणता की पात्रता राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो सकेगी।

20. **निर्वचन–** जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो वहाँ वह विषय गन्ना उद्योग विभाग को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उसपर विनिश्चय विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् अन्तिम होगा।

21. **निरसन एवं व्यावृति–** (i) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से अन्य सभी संबंधित प्रासंगिक परिपत्र/निर्णय निरसित समझे जायेंगे।

(ii) ऐसे निरसन के बावजूद पूर्व में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी।

(iii) किसी भी प्रकार के आरोप/दण्ड आदि का निर्धारण एवं निष्पादन समय–समय पर निर्णीत प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकेगा।

पाठ्यक्रम

परिशिष्ट–1

विषय :– चीनी उद्योग से संबंधित कानून :–

1. (i) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981
   (ii) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1978
   (iii) बिहार चीनी उपक्रम (अधिग्रहण) अधिनियम, 1985
   (iv) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951
   (v) कारखाना अधिनियम, 1948
   (vi) छोआ नियंत्रण आदेश, 1976
   (vii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
   (viii) गन्ने की खेती एवं विकास

परिशिष्ट 2(i)

विषय : II साक्ष्य कानून तथा राजस्व कानून

1. बिहार एण्ड उड़िसा मांग वसूली अधिनियम
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
3. बिहार टिनेनसी अधिनियम
4. बिहार भूमि सुधार अधिनियम तथा
5. दिं जनरल क्लोजेज अधिनियम।

परिशिष्ट–2(ii)

विषय :– III लेखा भाग–I

1. भारत सरकार के लेखा एवं अंकेक्षण का इन्ट्रोडक्शन (द्वितीय प्रकाशन) भारत के महा अंकेक्षण के प्राधिकार से 1940 में प्रकाशित।
   भाग–6, 7, 8, 9 (केवल चेप्टर का 138 से 164, 176, 179, 187 तथा 192) 10, 11, 13 से 19 तथा 27
2. बिहार कोषागार संहिता भौलूम–1 चेपटर्स 1 से 5

विषय :– लेखा भाग–II

1. बिहार सेवा संहिता– चैपटर्स (केवल धारा 1 और 8) तथा 7
2. बिहार कोषागार संहिता भौलूम– III
3. बिहार यात्रा भत्ता नियमावली
4. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली
5. बिहार पेनसन नियमावली
6. बिहार वित्तीय नियमावली भौलूम– I तथा II

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(डॉ. एस. सिद्धार्थ)
सरकार के प्रधान सचिव।

/पटना, दिनांक 2016

ज्ञाप संख्या– स्था०–02–13/1986

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/–
(डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या– स्था०–02–13/1986 /पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/मा० मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मा० उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या– स्था०–02–13/1986 2159 /पटना, दिनांक 27 10–2016

प्रतिलिपि– ईखायुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/10/2016
(डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ)
सरकार के प्रधान सचिव।